

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 225 / 2009 / जयपुर

मैसर्स किसान मोल्डिंग्स,
0-14, तृतीय मंजिल, अम्बर टॉवर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवचन, जोन प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25 / 04 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 105 / वैट / जी / 07-08 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 61 व 55 के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये कायम की गयी कुल मांग राशी 2,28,978 / - को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.09.2007 को अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा SWR Pipe & Fitting फिलेश टैंक, शीट कवर, पी.वी.सी. साल्वेन्ट सीमेंट, रबर ल्यूब्रिकेन्ट का हैड ऑफिस से स्टॉक ट्रांसफर के रूप में प्राप्त कर राजस्थान में कर वसूल कर जमा करवाना बताया। अपीलार्थी द्वारा SWR Pipe & Fitting पी.वी.सी. साल्वेन्ट पर 4 प्रतिशत की कर दर से वैट वसूल किया जाकर जमा करवाया गया तथा फिलेश टैंक, शीट कवर, रबर ल्यूब्रिकेन्ट पर 12.5 प्रतिशत की कर दर से वैट वसूल कर जमा करवाया गया। अपीलार्थी को वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के वस्तुवार विक्रय विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में विवरण प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत विवरणों के आधार पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा साल्वेन्ट सीमेंट का आलौच्य अवधि में राशि रुपये 8,67,589 / - का विक्रय 4 प्रतिशत की कर दर से वैट वसूल किया गया है। उक्त विक्रित वस्तु साल्वेन्ट सीमेंट शिडयूल की क्रम संख्या I to IV में कहीं भी उल्लेखित नहीं है अर्थात् इस पर शिडयूल V की कर दर प्रभावी होती है। इसके लिए अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने आलौच्य अवधि में रुपये 8,67,589 / - की साल्वेन्ट सीमेंट के विक्रय पर धारा 25 के अधीन 8.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित अन्तर कर रुपये 73,745 / -, धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 1,47,400 / - एवं धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 7,743 / - कुल मांग राशि रुपये 2,28,978 / - आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।


3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत सोल्वेंट सीमेंट कोई सीमेंट गम अधेसिव (Adhesive) नहीं है। वास्तव में यह पी.वी.सी. रेजिन का ही एक तरल रूप है तथा फिटिंग्स का ही एक रूप है। बिक्रीत सोल्वेंट सीमेंट (PVC RESIN) केवल पाईप फीटिंग के रूप में ही आता है। इसके बाद यह पाईप में ही बदल जाता है अर्थात् (MELT) हो जाता है जबकि अधेसिव आदि का अस्तित्व रहता है, वे केवल जोड़ने के काम आते हैं। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने कर बोर्ड द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत मैसर्स किसान मोल्डिंग्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 05.04.2017 पेश किया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए, प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशी को उचित बतलाया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा सोल्वेंट सीमेंट की राज्य में स्टॉक ट्रॉसफर के माध्यम से प्राप्ति की जाकर राजस्थान राज्य में विक्रय किया जाता है एवं व्यवहारी द्वारा "सोल्वेंट सीमेंट" पर 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व घोषित किया गया है, व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु 'सोल्वेंट सीमेंट' वैट एक्ट में प्रदत्त शिडयूल की क्रम संख्या I to IV में कहीं भी उल्लेखित नहीं है अर्थात् इस पर शिडयूल V के अनुसार सामान्य कर दर प्रभावी होती है।


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वा.क.अ. बनाम रस्तोगी स्टील फर्नीचर (2003) Tax Update Vol. 6 Part 8 Page 317 के मामले में विधिक स्थिति पर विस्तृत विचार कर निर्णित किया है कि कर निर्धारण आदेश में गणना किये गये कर पर ब्याज की देयता कर देयता की तिथि से ही प्रभावी होगी, जिसका संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है—

"As none of the cases cited at bar deals with like provision as are in consideration, they are of little assistance except the decision in J.K. Synthetics (Supra) as discussed above which throws sufficient light on the changes that have been brought about by substitution of s. 11-B with effect from 07-04-1979 vis a vis provision which was in force during the period for which dispute was before the Court. It clearly pointed out the shift in the basis of levy of interest from failure to pay tax due as per assessee under s.7(2) and (2-A) to non-payment of tax due as per assessment. It gave effect to principle of ex hypothesi determination of tax on occurrence of taxing event."

6. उक्त प्रकरण की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 221 से 224 / 2009 / जयपुर मैसर्स किसान मोल्डिंग्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 05.04.2017 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 के आलौच्य में शास्ति आकर्षित नहीं होती है, अतः शास्ति के बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष